

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी एवं सहायक कलक्टर कुशलगढ़ जिला बाँसवाड़ा (राज.)

फोन न०- 02965-275241

ई-मेल- sdmkushalgarh@gmail.com  
SDO.KUSHALGARH@rajasthan.gov.in


क्रमांक : एफ ( ) रीडर / 2026 / 62

दिनांक :- 19/03/2026

निमित्त :-  
तहसीलदार,  
तहसील-कुशलगढ़

विषय :- स्थाई निषेधाज्ञा की पालना बाबत।

उपर्युक्त विषयान्तर्गत लेख है कि न्यायालय हाजा के प्रकरण संख्या 15/2024 गोर्धनसिंह बनाम बाबु प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 212 रा.का.अ. में न्यायालय हाजा के द्वारा जारी स्थाई निषेधाज्ञा के आदेश की प्रति इस पत्र के संलग्न भिजवाई जा रही है। जिसमें मूल वाद के निस्तारण तक मौके पर यथास्थिति बनाये रखे जाने हेतु आदेश की पालना सुनिश्चित करें।  
संलग्न :- उपर्युक्तानुसार।

  
(राकेश कुमार न्योल)  
उपखण्ड अधिकारी,  
कुशलगढ़, जिला-बाँसवाड़ा (राज.)

2-6-25 उपायपत्रा अथ अविबन्धा उपलब्ध / प्रमाण वास्तव्य एवं तत्त्व अर्थ रिपोर्ट  
एवं तत्त्व अर्थ रिपोर्ट तदधीतदा माह्व अशरणा  
वास्तव्य 1-14-7-25 को पेश हो।

14-7-25 पत्रावली पेश। P.O माह्व अथ अविबन्धा में उपलब्ध होने से पत्रा  
व्यक्ति 1-16-7-25 को पेश हो। मिनि

16-7-25 पत्रावली पेश। प्रमाण वास्तव्य एवं तत्त्व अर्थ रिपोर्ट  
तदधीतदा माह्व अशरणा में अप्राप्त (P.O माह्व अथ अविबन्धा  
में उपलब्ध होने से पत्रावली व्यक्ति 1-23-7-25 को पेश हो। मिनि

23-7-25 पत्रावली पेश। P.O माह्व का स्थानांतरण होने से पत्रावली  
व्यक्ति 1-24-9-25 को पेश हो। मिनि

24-9-25 P.O पत्रावली पेश। P.O माह्व अथ अविबन्धा में उपलब्ध होने से पत्रा  
व्यक्ति 10-11-25 को पेश हो। मिनि

10/12/28 पत्रावली पेश। P.O माह्व R.O मीटिंग में उपलब्ध  
पत्रावली 9-2-28 को पेश हो। मिनि

09/02/2026 पत्रावली पेश। पत्रावली वास्तव्य व अविबन्धा दिनांक -  
11/03/2026 को पेश हो। 2

11/03/2026 पत्रावली पेश। पत्रावली में दोषो पक्षों को सुना गया तथा  
पूर्व में जारी अस्थाई निषेधाज्ञा को अवलोकन किया गया। पत्रावली  
को अवलोकन करने पर पत्रावली में संलग्न राजस्व अभिलेख,  
पूर्व में जारी ~~अस्थाई~~ अस्थाई निषेधाज्ञा तथा अन्य प्रस्तावों  
अनुसार मुनाबिक जमावकी रजिस्ट्रार संवत् 2074-77 में ग्राह  
पीपलीपाड़ा प.ह. वडी सरवा के खाता संख्या-35 अस्थाई संख्या-  
169 को रकबा 0.2914 है। भूमि प्राप्ति की खातेदारी व कब्जे-  
काश्त की है। प्रकरण में खातेदार स्वयं प्राप्ति लेकर अनाधिकृत

P.T.O....

| तारीख हुकम          | हुकम कार्यवाही   | नम्बर व तारीख अहकाम की एवं हुकम की ताकीद में जारी हुए |
|---------------------|--|---|
| Continue 11-03-2026 | <p>हस्तक्षेप से पीड़ित होने से सुविधा सन्तुलन व कानून व्यवस्था की दृष्टि से पार्टी के पक्ष में जाता है जिसे अंतरिम रथाई निषेधाज्ञा विरुद्ध अपाथीगण को मूल वाद के निस्तारण तक शांतिपूर्ण काश्त हेतु पार्टी के पक्ष में दिया जाना न्यायोचित है अतः प्रकरण में अपाथीगण (प्रतिवादीगण) के विरुद्ध मूल वाद के निस्तारण तक "खसरा संख्या-169 की सम्पूर्ण भूमि पर" पार्टी को शांतिपूर्ण काश्त के लिये रथाई निषेधाज्ञा दी जाती है तथा अपाथीगण को पालन किया जाता है कि वे प्रसंगत भूमि में मौके पर अघाति नहीं बनाये रखें तथा अपाथीगण किसी प्रकार का अनाधिकृत हस्तक्षेप नहीं करें और न ही किसी अन्य से करावें। अतः निर्णय सर्वेपत्र में सुनाया गया। पत्रावली में अन्य कोई कार्यवाही नहीं होने से फैसल शुमार होकर नम्बर से ऊँ होवें।</p> <p style="text-align: center;">२</p> <p style="text-align: center;"><b>उपखण्ड अधिकारी</b><br/>कुशलनद जिला बांसवाड़ा (राज.)</p> |   |